① 88/C

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 5 मई, 2008

सं. फा. 03 (26)/2007/प्रशि. प्रशा./321.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेदद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से :—

1. इस सरकार के प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत सहायक निदेशक/प्रधानाचार्य आई.टी.आई.पूसा, अरब की सराय, जाफर पुर, नरेला तथा विवेक विहार (महिला)/प्रधानाचार्य-बी.टी.सी./सहायक प्रशिक्षुता सलाहकार के पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती पद्धति तथा शैक्षिक योग्यताओं से संबंधित इसके साथ संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं, तथा

2. दिल्ली राजपत्र में दिनांक 26 जुलाई, 1989 को प्रकाशित अधिसूचना सं. फा. 3/1/87/प्रशि. प्रशा. दिनांक 26 जुलाई, 1989 द्वारा अधिसूचित इस सरकार के प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत सहायक निदेशक (प्रशि.)/प्रधानाचार्य आई.टी.आई.पूसा, अरब की सराय, तथा जाफर पुर/प्रधानाचार्य-बी.टी.सी./सहायक प्रशिक्षुता सलाहकार के पदों के भर्ती नियमों के भाग (i) में से 1 को निरस्त करते हैं।

अनुसूची

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक/प्रधानाचार्य आई.टी.आई./प्रधानाचार्य-बी.टी.सी./सहायक प्रशिक्षुता सलाहकार के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	क्या जोड़े गए वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक-03 प्रधानाचार्य आई.टी.आई. पूसा, अरब की सराय, जाफरपुर, नरेला तथा विवेक विहार (महिला)-05 प्रधानाचार्य-बी.टी.सी.-01 सहायक प्रशिक्षुता सलाहकार-01	10* (2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित/ अलिपिकीय	10,000-325-15,200 रु.	चयन	नहीं	40 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय। आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है, न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डेमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख है।

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
अनिवार्य :- 1. मैकेन्किल/इलैक्ट्रिकल/सिविल इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष। 2. संबंधित विषय में पांच वर्ष का व्यावसायिक या अध्यापन	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यताएं कॉलम 12 में दर्शायी गई सीमा तक	एक वर्ष सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये

(8)

अनुभव जिसमें संबंधित उद्योग या प्रशिक्षण संस्थान में पर्यवेक्षक रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण :—(i) शैक्षिक योग्यताओं में अभिलेखबद्ध कारणों से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा शिथिलनीय । यदि प्रत्याशी अन्यथा रूप में सुयोग्य हो ।

(ii) यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है ।

वांछनीय :—

(i) विभिन्न इंजीनियरिंग तथा निर्माण व्यवसाय या कुटीर तथा लघु पैमाने के उद्योगों का कार्य साधक ज्ञान

(ii) स्थानीय भाषा अर्थात् हिन्दी का ज्ञान

(iii) हस्तशिल्प एवं प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम चलाने का प्रशासनिक अनुभव

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है
(11)	(12)
पदोन्नति जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति :** 1. **33-1/3 प्रतिशत पदों के लिए :** प्रधानाचार्य/वरिष्ठ सर्वेक्षण/प्रशिक्षण मुल्यांकन अधिकारी के पद पर 8000-13500 के वेतनमान में प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार में पांच वर्ष की नियमित सेवा तथा संबंधित विषय में इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी डिग्री धारक या इसके समकक्ष 2. **66-2/3 प्रतिशत पदों के लिए :** 6500-10500 रुपये के वेतनमान में प्रधानाचार्य एवं उप-प्रधानाचार्य आई.टी.आई./सहायक प्रशिक्षण निरीक्षक/उद्योग संपर्क अधिकारी एवं प्रभावी अधिकारी/प्रशिक्षण अधिकारी तथा महिला आई.टी.आई. की महिला प्रधानाचार्य जो दिल्ली सरकार के प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय में आठ वर्ष की नियमित सेवा तथा संबंधित विषय में इंजीनियरिंग/प्राद्योगिकी की डिग्री धारक या इसके समकक्ष । **टिप्पण :**—शैक्षिक योग्यता संबंधी अनिवार्यताएं लागू नहीं होगी यदि इन नियमों के जारी करने की तिथि पर विभागीय प्रत्याक्षी भरक पदों पर कार्यरत हों । **टिप्पण :**—जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है । उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसीअपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो अपने उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है ।

87/C

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (समूह 'ख' से 'क' में पदोन्नति पर विचार करने के लिए) 1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या एक सदस्य —अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —सदस्य 3. सरकार में संबंधित सचिव —सदस्य 4. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह पदेन सचिव न हो —सदस्य **समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (समूह 'क' के अंतर्गत पदोन्नति हेतु)** 1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —अध्यक्ष 2. संबंधित सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —सदस्य 3. सचिव सेवा, दिल्ली सरकार —सदस्य 4. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो —सदस्य **समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण हेतु)** 1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —अध्यक्ष 2. संबंधित सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —सदस्य 3. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अनिवार्य है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

मुकेश प्रसाद, संयुक्त सचिव

DIRECTORATE OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 5th May, 2008

No. F. 3(26)/2007-Trg. Admn./321.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. 27/59/Him. (i) dated the 13th July, 1959, the Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission is pleased to :

1. make the rules in the Schedule annexed hereto regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the posts of Assistant Director /Principal ITIs Pusa, Arab Ki Sarai, Jaffarpur, Narela and Vivek Vihar (Woman)/Principal-BTC/Assistant Apprenticeship Advisor under the Directorate of Training & Technical Education of this Government, and

2. to cancel part 1 of (i) of recruitment rules relating to the posts of Assistant Director (Trg.)/Principal ITIs Pusa, Arab Ki Sarai and Jaffarpur/Principal-BTC/Assistant Apprenticeship Advisor under the Directorate of Training & Technical Education of this Government notified *vide* Notification No. F. 3/1/87/Trg. Admn. dated 26th July, 1989 published in Delhi Gazette dated 26th July, 1989.

C/42

SCHEDULE

Recruitment Rules for the Posts of Assistant Director/Principal ITIs/Principal-Basic Training Centre/Assistant Apprenticeship Advisor in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 under the Department of Training & Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added year of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Assistant Director-03 Principal ITIs Pusa, Arab Ki Sarai, Jaffarpur, Narela and Vivek Vihar for Women—05 Principal-Basic Training Centre—01 Assistant Appenticeship Advisor-01	10* (2008) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service-Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial)	Rs. 10000-325-15200	Selection	No.

Age limit (For direct recruitment)	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any
7	8	9	10
Not exceeding 40 years. Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands of Lakshdaweep.	**Essential :** 1. Degree in Mechanical/Electrical/ Civil Engineering/Technology of a recognized University or equivalent. 2. Five years professional or teaching experience in the subject concerned of which at least two years should be in a supervisory capacity in an Industrial concerned or in a Training Institute. **Note (i) :** Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC for reasons to be recorded in writing. In case of candidates other well qualified. **(ii)** The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC for reasons to be recorded in writing. In case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of	Age—No Educational Qualification to the extent indicated in column No. 12	One year for direct recruits and promotees

86

8
candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable :** (i) Working knowledge of various Engg. and building trades or cottages and small scale industries. (ii) Knowledge local language i.e. Hindi. (iii) Administrative experience in running the Craftsmen and Apprenticeship Training Scheme.

Method of recruitment, whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation/ Absorption and percentage from the vacancies to be filled up by various methods	In case of recruitment by Promotion/Deputation/Absorption Grades from which Promotion/Deputation/Absorptionto be made
11	12
Promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion :** 1. For 33-1/3% of post : 5 years regular service in the post (s) of Principals/Senior Surveyors/Training Evaluation Officer in the pay scale of Rs. 8000-13500 in the Directorate of Training & Technical Education, GNCT of Delhi and holding degree in Engg/Technology in the subject concerned or its equivalent. 2. For 66-2/3% of post : 8 years regular service in the post (s) of the Principals & Vice Principals ITIs/Assistant inspector of Training/ Industrial Liaison Officer-cum-Officer In charge/Training Officer and Lady Principals of ITIs for Women in the pay scale of Rs. 6500-10500 in the Directorate of Training & Technical Education, GNCT of Delhi and holding degree in Engg./Technology in the subject concerned or its eqiuvalent. **Note : (i)** The requirement about the educational qualifications shall not be applicable in case of departmental candidate holding the feeder post on the date of promulgation of these rules. **Note : (ii)** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility sercvice or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstrances in which Union Public service Cimmission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'A' DPC (for considering promotion from Group "B" to "A") :— 1. Chairman or a Mamber of UPSC —Chairman 2. Chief Secretary, GNCT of Delhi. —Member 3. Secretary concerned in the govt. —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

C/40

13

4. H.O.D. concerned unless he/she is ex-officio Secy. in the Govt. —Member

Group 'A' DPC (for promotion within Group "A") :—

1. Chief Secretary, GNCT of Delhi. —Chairman
2. Secretary concerned in the Govt. —Member
3. Secretary, (Services), GNCT of Delhi. —Member
4. H.O.D. concerned unless he/she is ex-officio Secy. in the Govt. —Member

Group 'A' DPC (for confirmation) :—

1. Chief Secretary, GNCT of Delhi. —Chairman
2. Secretary concerned in the Govt. —Member
3. H.O.D. concerned unless he/she is ex-officio Secy. in the Govt. —Member

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
MUKESH PRASAD, Jt. Secy.

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 मई, 2008

सं. फा. 19(70)/परि./सचि./08/418.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 115 के अन्तर्गत परिवहन आयुक्त को अगले आदेशों तक बस रेपिड ट्रांजिट कोरिडोर के विषय में शक्तियों के प्रयोग का प्राधिकार प्रदान करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. के. वर्मा, सचिव एवं आयुक्त

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 5th May, 2008

No. F. 19(70)/ Tpt./Sectt./08/418.—In exercise of the powers conferred by Section 115 read with clause (41) of Section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988, (59 of 1988), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of the Delhi hereby, authorises the Commissioner Transport, to exercise the powers under Section 115 of the said Act, in respect of the Bus Rapid Transit Corridor, till further orders.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
R. K. VERMA, Secy.-cum-Commissioner

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 मई 2008

सं. एफ. 7(1)/रा. स्थ./स.र./जी.ए/99/1015 (i).— दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वाई वी.वी.जे. राजसेखर, ए डी एम (दक्षिण-पश्चिम) जब तक वे ए डी एम के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अतिरिक्त कलैक्टर नियुक्त करते हैं तथा उसी अधिनियम की धारा 6 तथा 76 के अंतर्गत उन्हें जिलाधीश राजस्व की शक्तियां प्रदान करते हैं ।

सं. एफ. 7(1)/रा. स्थ./स.र./जी.ए/99/1015.(ii).— दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 3 (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वाई वी.वी.जे. राजसेखर, ए डी एम (दक्षिण-पश्चिम) जब तक वे ए डी एम के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपायुक्त के कार्य पालन हेतु शक्तियां प्रदान करते हैं ।